भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1220
उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत उपयोग की गई धनराशि

1220. श्रीमती मंजू शर्माः
श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान (सभी के लिए शिक्षा) के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालयों की संख्या जिला-वार कितनी है तथा यह व्यय किन मदों पर किया गया;
(ग) क्या सरकार ने बौद्धिक, नैतिक और जीवन-कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करके छात्रों के समग्र विकास के लिए कोई नई योजना/शुरू की है/शुरू करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार बाड़मेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिलों में विद्यालयों, कक्षाओं, भवनों और विभिन्न संसाधनों की कमी/आवश्यकता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): विगत पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्षों के दौरान राजस्थान में समग्र शिक्षा योजना के तहत संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	संस्वीकृत निधि (केन्द्रीय अंश) (रुपये करोड़ में)	आवंटित/जारी की गई निधि (केन्द्रीय अंश) (रुपये करोड़ में)	उपयोग की गई निधि (केन्द्रीय + राज्य अंश) (रुपये करोड़ में)
2020-21	2730.19	2259.43	4258.73
2021-22	2730.19	2405.82	4443.55
2022-23	3452.19	2138.61	4776.65
2023-24	3560.25	3202.89	5061.21
2024-25	3560.25	3090.65	4676.60

2025-26	3228.05	-	-

(ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश के अधिकांश विद्यालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। केंद्र सरकार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त निधि जारी करती है और समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत उपाय-वार निधि जारी नहीं की जाती है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालयों की जिलावार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ग): राजस्थान राज्य में सरकार द्वारा निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित शिक्षा योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

i. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना-**समग्र शिक्षा** को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित है। इस योजना का लक्ष्य बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान, समग्र और एकीकृत पाठ्यचर्या और नवीन शैक्षणिक पद्धतियों को भी शामिल करना है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना है।

ii. **प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री),** एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना होता है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना होता है, और पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व भी प्रदान करना होता है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूली माहौल में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करते हैं जिनमें बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ख्याल रखा जाता है और उन्हें एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है, जिनमें से राजस्थान राज्य से कुल 639 स्कूलों का चयन किया गया है।

iii. **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बालवाटिका (पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं) और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सभी स्कूल दिवसों में एक बार पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराना है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, पीएम-पोषण योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान राज्य को 608.69 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई।

iv. न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी), जिसे उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है और इसका लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन निरक्षरों को शिक्षा प्रदान करना है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। इस योजना के अंतर्गत उन्हें साक्षर बनाने के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएँगे। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में 2062.32 लाख रुपये जारी किए गए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय अंश के रूप में 3091.92 लाख रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

(घ): नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का प्रावधान है। नवंबर 2016 में 62 नए नवोदय विद्यालयों की स्वीकृति के साथ, इस योजना को स्वीकार करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी 638 जिले (31 मई, 2014 तक की स्थिति के अनुसार), 100% शहरी आबादी वाले 6 जिलों को छोड़कर, इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राजस्थान के सभी जिले नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

नए नवोदय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है जो स्थायी भवन के निर्माण के लिए आवश्यक उपयुक्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा स्थायी भवन के निर्माण तक विद्यालय संचालित करने के लिए अपेक्षित अस्थायी भवन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की इच्छा पर निर्भर करती है। नए नवोदय विद्यालयों की स्वीकृति और उन्हें खोला जाना मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

(ङ): राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिलों में स्कूलों, कक्षाओं, भवनों और विभिन्न संसाधनों की कमी/आवश्यकता का ब्यौरा, जैसा कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा साझा किया गया है, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**कमी / आवश्यकता**					
		कक्षा कक्ष	**भवनविहीन, जीर्ण-शीर्ण किराये/किरायामुक्त विद्यालयों के लिए नया भवन**	**एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला**	**पेयजल सुविधाएं**	**बिजली**	**शौचालय**
1	बाड़मेर	1306	126	609	19	213	52
2	जैसलमर	222	64	229	29	182	47
3	बालोतरा	634	72	385	8	172	58
कुल		**2162**	**262**	**1223**	**56**	**567**	**157**

***

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्रीमती मंजू शर्मा और श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा पूछे गए राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत उपयोग की गई धनराशि के संबंध में दिनांक 28.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1220 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राजस्थान राज्य द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 में राजस्थान में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालयों की जिलावार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	स्कूलों की संख्या
1	अजमेर	1297
2	अलवर	1606
3	बालोतरा	1749
4	बांसवाड़ा	2606
5	बारां	1229
6	बाड़मेर	3132
7	ब्यावर	1180
8	भरतपुर	959
9	भीलवाड़ा	2738
10	बीकानेर	2115
11	बूंदी	1230
12	चित्तौड़गढ़	1782
13	चुरू	1415
14	दौसा	1472
15	डीग	782
16	धौलपुर	1121
17	डीडवाना कुचामन	1385
18	डूंगरपुर	2210
19	गंगानगर	1928
20	हनुमानगढ़1095	1095
21	जयपुर	2972
22	जैसलमेर	1278
23	जालोर	1859
24	झालावाड़	1652
25	झुंझुनूं	1476
26	जोधपुर	2428
27	करौली	1422
28	खैरथल तिजारा	767
29	कोटा	1051
30	कोटपूतली बहरोड़	841
31	नागौर	1612
32	पाली	1279
33	फलौदी	1221
34	प्रतापगढ़	1345
35	राजसमंद	1639
36	एस.माधोपुर	1046
37	सलूम्बर	935
38	सीकर	1921
39	सिरोही	916
40	टोंक	1455
41	उदयपुर	2921
	कुल	**65067**

***